

अंचल अधिकारी का कार्यालय, सोनुआ।

प० सिंहभूम, चाईबासा 833105
(Email ID: sonua5@gmail.com)

अंचल - सोनुआ

योंरा का प्रकार- राजस्व- 2 अद्यतन।

अभिलेख सं०- 5/2023-24

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर जो गठन कारवाई व उपरि म दिपनी, तारीख सहित
1	श्री/सुनती <u>अर्जुन प्रसाद</u> पिता/पति <u>कान्हु अलम</u> ग्राम- <u>अर्जुनपुर</u> पो- <u>3341</u> थाना- <u>सोनुआ, जिला- प० सिंहभूम के</u> द्वारा निम्नलिखित भूमि का जमाबंदी रजिस्टर-2 में दर्ज हेतु किया गया है। संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक से जोष प्रतिवेदन प्राप्त करें तथा अभिलेख, दिनांक <u>15/12/23</u> को उपस्थापित करें। नौजा <u>अर्जुनपुर</u> थाना नं० <u>47</u> खता नं० <u>389</u> रकबा <u>15 1/2</u> लेखपित <u>अंचल अधिकारी सोनुआ।</u> अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप-निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि नौजा <u>अर्जुनपुर</u> खता नं० <u>47</u> प्लॉट नं० <u>389</u> रकबा <u>15 1/2</u> लगान <u>0.25</u> नाम <u>अर्जुन अलम</u> पिता/पति <u>कान्हु अलम</u> निवासी <u>अर्जुनपुर</u> ने विक्री केवाला सं० <u>247/92-93</u> से लय किया गया है तथा अंचल कार्यालय से नामांतरण मुकदमा सं० <u>247/92-93</u> से नामांतरण स्वीकृत है। आवेदक ने इसके समर्थन में विक्री केवाला/शुद्धि पत्र की प्रति आफलाइन रसीद इत्यादि सनपित किया है। आवेदक के पिता/माता के नाम से पुराना पंजी-2 के पृष्ठ संख्या <u>1</u> में जमाबंदी कायम है तथा नियमित रूप से लगान कट रहा है। अतः राजस्व उप-निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम हेतु स्वीकृति दी जाती है। संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक/ऑपरटर से ऑनलाईन दर्ज करते हुए आवश्यक संशोधन करें। लेखपित <u>अंचल अधिकारी सोनुआ।</u> अभिलेख उपस्थापित। उक्त भूमि का जमाबंदी नौजा <u>अर्जुनपुर</u> भाग सं० <u>2-</u> पृष्ठ सं० <u>3</u> में दर्ज किया गया। अतः अभिलेख की कारवाई समाप्त की जाती है। लेखपित <u>अंचल अधिकारी सोनुआ।</u>	3